05/5/25 पत्रावली [illegible] रिपोर्ट पेश हुई। उप-
[illegible] [illegible] बार [illegible] स्वीकार किया [illegible]
है। [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible]
शामिल किया [illegible] [illegible] [illegible] ला। [illegible]
कद हो।

रिपोर्ट [illegible] [illegible]

GCMS
2021/172

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.09 12:18:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 247/2021 GCMS-2021/172 **दायर दिनांक : 12.11.2021**

1. जाना बी जोजे दोसूखां
2. माफिया बी पुत्री दोसूखां
3. नजरां बी पुत्री दोसूखां
4. सीमां पुत्री दोसूखां
5. सदरूखां पुत्र दोसूखां
6. मोहम्मदसलीम पुत्र दोसूखां
7. फलकसेर पुत्र दोसूखां
8. रफीक मोहम्मद पुत्र दोसूखां
9. मोहम्मदसदीक पुत्र दोसूखां

} जाति मुसलमान निवासीयान हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—वादीगण

बनाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

1. नजरूखां पुत्र दोसूखां जाति मुसलमान निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—प्रतिवादीगण

<u>वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92—क, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थित :

1. श्री लेखराज देरासरी, अभिभाषक वादीगण
2. श्री कैलाश गोदारा, प्रतिवादी सं. 1
3. पैरोकार राज

निर्णय **दिनांक : 05.05.2025**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, विचारण तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण ने एक वाद वास्ते घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92—क, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ [illegible]दी सम्वत् 2067 से 70 के संयुक्त खाता सं. 118/19 के खसरा नं. 18 में 11.100 है0, खसरा नं. 209/38 में 7.590 है0 व खसरा नं. 211/39 में 10.120 है0, कुल 18.810 है0 बारानी मय गै.मु. में से 5.794 है0 एवं इसी रोही हिन्दौर के संयुक्त खाता सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.09 12:18:21 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

17 के खसरा नं. 16 में 5.958 है0, खसरा नं. 17 में 3.668 है0, खसरा नं. 19 में 1.328 है0, खसरा नं. 33 में 3.277 है0, खसरा नं. 35 में 3.972 है0, खसरा नं. 36 में 3.048 है0, खसरा नं. 37 में 0.873 है0 व खसरा नं. 74 में 1.113 है0, कुल 23.237 है0 बारानी मय गै.मु.रास्ता भूमि में से 5.161 है0 भूमि वादीगण के पति/पिता व प्रतिवादी सं. 1 के पिता दोसूखां पुत्र निजामखां के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण ने दोसूखां के नाम की उक्त कुल भूमि में दोसूखां की मृत्यु के बाद वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 कुल दस वारिस बताते हुए, प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा अपना हक बहक वादीगण छोड़ देने के आधार पर दोसूखां के नाम अंकित कुल भूमि में स्वयं को बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा का खातेदार घोषित कर रिकॉर्ड में अंकन करने व प्रतिवादी सं. 1 उनके कब्जे में हस्तक्षेप न करें, इस हेतु चिरस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 जारी करने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये, लेकिन उनके द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 04.10.2023 को जवाब बन्द कर साक्ष्य लिये गये। वादीगण की ओर से साक्ष्य में रफीक मोहम्मद पुत्र दोसूखां, अकबर खां व नवाजखां के बयान शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये। वाद साक्ष्य वादीगण, प्रतिवादी ने किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। साक्ष्य बन्द कर बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने जमाबन्दियों, सदस्य प्रमाण–पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र के प्रदर्श अंकन का अवलोकन करवाया व वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रतिवादी सं. 1 नजरूखां पुत्र दोसूखां द्वारा दोसूखां के नाम अंकित कृषि भूमि में से अपना हक छोड़ने के दस्तावेज का अवलोकन करवाया जिसमें उसने रोही हिन्दौर में दोसूखां के नाम अंकित कृषि भूमि में से अपना हक दोसूखां के शेष वारिसान के हक में छोड़ना अंकन किया है। वाद वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य व वादीगण की ओर से प्रस्तुत शपथ–पत्रों से पूर्णतया सिद्ध होना बताते हुए वाद वादीगण स्वीकार कर जैरवाद भूमि में वादीगण को बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक को 1/9–1/9 हिस्सा का खातेदार घोषित करने

क्रमशः ..... पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.09 12:18:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

की प्रार्थना की व उनके हिस्से में प्रतिवादी सं. 1 किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करे, इस हेतु प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की। वाद की पुष्टि में न्याय निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय प्रकाशित आर.आर.टी. 2011 (2) पृष्ठ सं. 1115 प्रस्तुत किया।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ने वाद साक्ष्य से पुष्ट न होने के आधार पर वाद वादीगण निरस्त करने की प्रार्थना की। पैरोकार राज ने राज्य हितों को सुरक्षित रखते हुए वाद में निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अध्ययन व मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्याय निर्णय का सम्मानपूर्वक पठन करने के उपरान्त पाया कि वादीगण के पति/पिता व प्रतिवादी सं. 1 के पिता दोसूखां पुत्र निजामखां के नाम से रोही हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 70 के संयुक्त खाता सं. 118/19 के खसरा नं. 181/17 में 1.100 है0, खसरा नं. 209/38 में 7.590 है0 व खसरा नं. 211/39 में 10.120 है0, कुल 18.810 है0 बारानी मय गै.मु. में से 5.794 है0 एवं इसी रोही हिन्दौर के संयुक्त खाता सं. 17 के खसरा नं. 16 में 5.958 है0, खसरा नं. 17 में 3.668 है0, खसरा नं. 19 में 1.328 है0, खसरा नं. 33 में 3.277 है0, खसरा नं. 35 में 3.972 है0, खसरा नं. 36 में 3.048 है0, खसरा नं. 37 में 0.873 है0 व खसरा नं. 74 में 1.113 है0, कुल 23.237 है0 बारानी मय गै.मु.रास्ता भूमि में से 5.161 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। दोसूखां की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिस खातेदारी घोषणा पात्र बनते हैं। दोसूखां के एक पुत्र प्रतिवादी सं. 1 ने जरिये लिखित दस्तावेज दोसूखां के नाम अंकित भूमि में से अपना हक व हिस्सा दोसूखां के वारिसों को देने व स्वयं हिस्सा ना लेने का इकरार किया है जो संलग्न पत्रावली है। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा वाद का प्रतिरोध नहीं किया गया व वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय इ[illegible] छोड़ने का तथ्य इस स्थिति में साबित है, जो इस प्रकरण में पूर्ण रूप से [illegible] है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय मानने योग्य है। गवाहों के बयान, जिनके प्रति शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं हुए, से वादीगण सिद्ध होता है। दस्तावेजी रिकॉर्ड अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.09 12:18:21 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

जमाबन्दियों से वाद वादीगण सिद्ध होता है। वाद वादीगण सन्देह से परे सिद्ध व स्वीकृति योग्य बनता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पति/पिता व प्रतिवादी सं. 1 के पिता दोसूखां पुत्र निजामखां की मृत्यु उपरान्त व प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा दोसूखां के नाम अंकित भूमि में अपना हक वादीगण के हक में छोड़ने के इकरार के अनुसरण में जैरवाद खातेदारी कृषि भूमि वाके **रोही हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 70 के संयुक्त खाता सं. 118/19** के खसरा नं. 181/17 में 1.100 है0, खसरा नं. 209/38 में 7.590 है0 व खसरा नं. 211/39 में 10.120 है0, कुल 18.810 है0 बारानी मय गै.मु. में से दोसूखां पुत्र निजामखां के नाम अंकित 5.794 है0 भूमि एवं इसी **रोही हिन्दौर के संयुक्त खाता सं.** 17 के खसरा नं. 16 में 5.958 है0, खसरा नं. 17 में 3.668 है0, खसरा नं. 19 में 1.328 है0, खसरा नं. 33 में 3.277 है0, खसरा नं. 35 में 3.972 है0, खसरा नं. 36 में 3.048 है0, खसरा नं. 37 में 0.873 है0 व खसरा नं. 74 में 1.113 है0, कुल 23.237 है0 बारानी मय गै.मु. रास्ता भूमि में से दोसूखां पुत्र निजामखां के नाम अंकित 5.161 है0 भूमि का वादीगण को बहिस्सा बराबर का यानि प्रत्येक को 1/9–1/9 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। मुताबिक घोषणा तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को दोसूखां पुत्र निजामखां के नाम अंकित उक्त भूमि दोसूखां के नाम से कलमजन कर वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक के नाम 1/9–1/9 हिस्सा भूमि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यदि भूमि दोसूखां के नाम रहन अंकित है तो उपरोक्त आदेश के अनुसरण में रहन का अंकन वादीगण के नाम यथावत रहेगा और इसी अनुसार ऋण अदायगी का दायित्व वादीगण का यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद [illegible] हो।

Signature Not Verified

आज दिनांक 05.05.2025 को [illegible] मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.09 12:18:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
बइजलास – **सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.**

अनवान :–

1. **जाना बी जोजे दोसूखां**
2. **माफिया बी पुत्री दोसूखां**
3. **नजरां बी पुत्री दोसूखां**
4. **सीमां पुत्री दोसूखां**
5. **सदरूखां पुत्र दोसूखां**
6. **मोहम्मदसलीम पुत्र दोसूखां**
7. **फलकसेर पुत्र दोसूखां**
8. **रफीक मोहम्मद पुत्र दोसूखां**
9. **मोहम्मदसदीक पुत्र दोसूखां**

} **जाति मुसलमान निवासीयान हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

–वादीगण

बनाम

1. **नजरूखां पुत्र दोसूखां जाति मुसलमान निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
2. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 89, 92–क, 90 व 188 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 247 वर्ष 2021 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री लेखराज देरासरी व अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 श्री कैलाश गोदारा एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पति/पिता व प्रतिवादी सं. 1 के पिता दोसूखां पुत्र निजामखां की मृत्यु उपरान्त व प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा दोसूखां के नाम अंकित भूमि में अपना हक वादीगण के हक में छोड़ने के इकरार के अनुसरण में जैरवाद खातेदारी कृषि भूमि वाके **रोही हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 70 के संयुक्त खाता सं. 118/19** के खसरा नं. 181/17 में 1.100 है0, खसरा नं. 209/38 में 7.590 है0 व खसरा नं. 211/39 में 10.120 है0, कुल 18.810 है0 बारानी मय गै.मु. में से दोसूखां पुत्र निजामखां के नाम अंकित 5.794 है0 भूमि एवं इसी **रोही हिन्दौर के संयुक्त खाता सं. 17** के खसरा नं. 16 में 5.958 है0, खसरा नं. 17 में 3.668 है0, खसरा नं. 19 में 1.328 है0, खसरा नं. 33 में 3.277 है0, खसरा नं. 35 में 3.972 है0, खसरा नं. 36 में 3.048 है0, खसरा नं. 37 में 0.873 है0 व खसरा नं. 74 में 1.113 है0, कुल 23.237 है0 बारानी मय गै.मु.रास्ता भूमि में से दोसूखां पुत्र निजामखां के नाम अंकित 5.161 है0 भूमि का वादीगण को बहिस्सा बराबर का यानि प्रत्येक को 1/9–1/9 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। मुताबिक घोषणा तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को दोसूखां पुत्र निजामखां के नाम अंकित उक्त भूमि दोसूखां के नाम से कलमजन कर वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक के नाम 1/9–1/9 हिस्सा भूमि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में अंकित किये [illegible] यदि भूमि दोसूखां के नाम रहन अंकित है तो उपरोक्त आदेश के [illegible] रहन का अंकन वादीगण के नाम यथावत रहेगा और इसी अनुसार ऋण अदायगी दायित्व वादीगण का यथावत रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.05.09 12:18:21 IST
Reason: SelfAttested

नोज ....×......... मुबलिंग ....×......... बाबत ....×.......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदों की [illegible]ना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 05.05.**2025** को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़